रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 896] नई दिल्ली, सोमवार, मई 14, 2012/वैशाख 24, 1934
No. 896] NEW DELHI, MONDAY, MAY 14, 2012/VAISAKHA 24, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2012

का.आ. 1062(अ).—जबकि, लिब्रेशन टाईगर्स ऑफ तमिल ईलम (जिसे इसमें इसके पश्चात् एल टी टी ई कहा गया है) श्रीलंका स्थित एक संगठन है किन्तु इसके समर्थक, इससे सहानुभूति रखने वाले, तथा कार्यकर्ता भारत के भू-भाग में फैले हुए हैं;

और जबकि, सभी तमिलों के लिए एक पृथक राष्ट्र (तमिल ईलम) की स्थापना का एल टी टी ई का लक्ष्य भारत की संप्रभुता एवं भू-भागीय अखण्डता के लिए खतरा है, और जिसका अर्थ भारतीय भू-भाग के एक हिस्से का भारत संघ से अंतरण या पृथक्कीकरण किया जाना है, और इस प्रकार यह विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के दायरे में आता है;

और जबकि, श्रीलंका में मई, 2009 में हुई अपनी सैन्य हार के बावजूद एल टी टी ई ने 'ईलम' की अवधारण का परित्याग नहीं किया है तथा यह यूरोप में धन उगाहने एवं प्रचार गतिविधियों के माध्यम से गुप्त रूप से 'ईलम' संबंधी अपने उद्देश्य की प्राप्ति में लगा हुआ है। एल टी टी ई के शेष बचे नेताओं या काडरों ने इधर-उधर बिखरे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके संगठन को स्थानीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पुन: प्रारंभ करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं;

और जबकि, अलगाववादी तमिल कट्टरराष्ट्रवादी समूह तथा एल टी टी ई समर्थक समूह आम जनता के बीच अलगाववादी भावना को पैदा करने तथा भारत में विशेषकर, तमिलनाडु में एल टी टी ई के लिए समर्थन आधार को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं । इससे अंतत: भारत की भू-भागीय अखंडता पर गहरा विघटनकारी प्रभाव पड़ेगा । अत: सभी संभव विधिक उपायों से इन अलगाववादी गतिविधियों को नियंत्रित करने की सख्त जरूरत है;

और जबकि, दिनांक 14-5-2010 की अंतिम अधिसूचना सं. का.आ. 1090(अ) के बाद अर्थात् मई, 2010 तथा फरवरी, 2012 के बीच एल टी टी ई तथा एल टी टी ई समर्थक तत्वों एवं कट्टरराष्ट्रवादी समूहों के विरुद्ध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908, विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 तथा भारतीय दंड संहिता इत्यादि के उपबंधों के अतिरिक्त विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत मामले दर्ज किए गए थे;

और जबकि, डायसपोरा, इन्टरनेट पोर्टल्स पर लेखों के माध्यम से, एल टी टी ई की पराजय के लिए भारत के शीर्ष राजनेताओं और नौकरशाहों को जिम्मेदार ठहराते हुए श्रीलंकाई तमिलों में लगातार भारत-विरोधी भावनाएं फैला रहा है। इन्टरनेट के माध्यम से इस प्रकार के लगातार किए जा रहे प्रचार से भारत में अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

और जबकि, उपर्युक्त कारणों से केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि एल टी टी ई एक विधिविरुद्ध संगम है और ऐसी सभी अलगाववादी गतिविधियों को सभी संभव उपायों से निरंतर नियंत्रित करने की सख्त जरूरत है;

और जबकि, केन्द्र सरकार के पास सूचना है कि–

(i) हाल ही में तमिलनाडु राज्य में तलाशे गए बचे एल टी टी ई काडरों, इसे छोड़ने वालों, इससे सहानुभूति रखने वालों और समर्थकों की गतिविधियों से पता चलता है कि तमिलनाडु में भेजे गए काडरों का अंततोगत्वा एल टी टी ई द्वारा विधिविरुद्ध कार्यकलापों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा;

(ii) प्रतिबंध लागू होने के बावजूद भारत में एल टी टी ई समर्थक संगठनों और व्यक्तियों की गतिविधियां भारत सरकार द्वारा देखी गई हैं और इन ताकतों द्वारा एल टी टी ई को अपना समर्थन देने के प्रयास किए गए हैं;

(iii) एल टी टी ई नेता, कार्यकर्ता और समर्थक अपने संगठन के बारे में भारत की नीति और अपनी गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य तंत्र की कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाते रहे हैं;

और जबकि, केन्द्र सरकार का यह मत है कि एल टी टी ई की उपर्युक्त गतिविधियां भारत की सम्प्रभुता और भू-भागीय अखण्डता के लिए और साथ ही लोक-व्यवस्था के लिए खतरा बनी हुई हैं और हानिकर हैं, इसलिए इसे विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाना चाहिए;

और जबकि केन्द्र सरकार का यह भी मत है कि (i) भारत की सम्प्रभुता एवं अखण्डता के लिए हानिकर एल टी टी ई की सतत हिंसक एवं विध्वंसकारी गतिविधियों; तथा (ii) एल टी टी ई द्वारा लगातार सख्त भारत-विरोधी रुख अपनाए जाने और भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षा को सतत रूप से गंभीर खतरा पैदा किए जाने के कारण, एल टी टी ई को तत्काल प्रभाव से "विधिविरुद्ध संगम" घोषित करना आवश्यक है;

अतः, अब, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा लिब्रेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एल टी टी ई) को विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत किए जाने वाले किसी आदेश के अध्यधीन, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. I-11034/1/2012-आईएस.-I]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2012

S.O. 1062(E).—Whereas, the Liberation Tigers of Tamil Eelam (hereinafter referred to as the LTTE), is an association based in Sri Lanka but having its supporters, sympathisers and agents in the territory of India;

And whereas, the LTTE's objective for a separate homeland (Tamil Eelam) for all Tamils threatens the sovereignty and territorial integrity of India, and amounts to cession and secession of a part of the territory of India from the Union and thus falls within the ambit of an unlawful activities;

And whereas, the LTTE, even after its military defeat in May, 2009 in Sri Lanka, has not abandoned the concept of 'Eelam' and has been clandestinely working towards the 'Eelam' cause by undertaking fund raising and propaganda activities in Europe. The remnant LTTE leaders or cadres have also initiated efforts to regroup the scattered activists and resurrect the outfit locally and internationally;

And whereas, the separatist Tamil chauvinist groups and pro-LTTE groups continue to foster a separatist tendency amongst the masses and enhance the support base for LTTE in India and particularly in Tamil Nadu, it will ultimately have a strong disintegrating influence over the territorial integrity of India. Hence, the strong need continues to exist to control all such separatist activities by all possible lawful means;

And whereas, cases were registered under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, against LTTE, pro-LTTE elements and chauvinist groups since the last Notification No. S.O. 1090(E), dated 14-05-2010, i.e. between May, 2010 and February, 2012 besides cases under the provisions of Explosive Substances Act, 1908, Foreigners Act, 1946, Indian Penal Code, etc.;

And whereas, the Diaspora continue to spread through articles in the Internet portals, anti-India feeling amongst the Sri Lankan Tamils by holding the top Indian political leaders and bureaucrats responsible for the defeat of the LTTE. Such propaganda through Internet, which remains continued, is likely to impact VVIP security adversely in India;

And whereas, for the reasons aforesaid, the Central Government is of the opinion that the LTTE is an unlawful association and there is a continuing strong need to control all such separatist activities by all possible means;

And whereas, the Central Government has the information that—

(i) the activities of the LTTE remnant cadres, dropouts, sympathisers, supporters who have been traced out recently in the State of Tamil Nadu suggest that the cadres sent to Tamil Nadu would ultimately be utilised by the LTTE for unlawful activities;

(ii) the activities of pro-LTTE organization and individuals have come to notice of the Government of India that despite the ban in force, attempts have been made by these forces to extend their support to the LTTE;

(iii) the LTTE leaders, operatives and supporters have been inimically opposed to India's policy on their organization and action of the State machinery in curbing their activities;

And whereas, the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the LTTE continue to pose a threat to, and are detrimental to, the sovereignty and territorial integrity of India as also to the public order and, therefore, it should be declared as an unlawful association;

And whereas, the Central Government is further of the opinion that—(i) because of the LTTE's continued violent and disruptive activities which are prejudicial to the integrity and sovereignty of India; and (ii) LTTE continues to adopt a strong anti-India posture as also continues to pose a grave threat to the security of Indian nationals, it is necessary to declare LTTE as an "unlawful association" with immediate effect;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Liberation Tigers of Tamil Eelam (the LTTE) as an unlawful association and directs that this notification shall, subject to any order that may be made under Section 4 of the said Act, have effect on and from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. I-11034/1/2012-IS-I]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.